



कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति “विशिष्ट श्रेणी” (अनाज) कोटा (राज0)

(e-Mail : kums.kotagr@rajasthan.gov.in, Phone No. : 0744-2490674, 2490475)

क्रमांक : वन विभाग / 2024-2025 /

दिनांक :

उप वन संरक्षक
सिविल लाईन्स,
नयापुरा, कोटा।

विषय :- भामाशाह कृषि उपज मण्डी विस्तार वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव
FP/RJ/OTHERS/20036/2016 में राज्य सरकार द्वारा जारी EDS
बाबत।

प्रसंग :- आपके कार्यालय का राजकाज संदर्भ 12452323/6280 दिनांक
16.12.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वर्तमान में भामाशाह कृषि उपज मण्डी का विस्तार एक महत्वपूर्ण योजना है एवं बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के बिन्दु संख्या 130 के क्रम संख्या 2 भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा के विस्तार की घोषणा की गई है।

कोटा बाईपास (NH-76) के निर्माण में प्रत्यावर्तित की गई 111.637 है0 वन भूमि के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित Central Empowered Committee की अनुशंषा रिपोर्ट में वर्णित अनुशंषा क्रमांक 8 एवं 9 की अनुपालना में भारत सरकार से जारी हुई सैद्धान्तिक स्वीकृति F-No-8-13/2006-FC दिनांक 06.07.2006 में अधिरोपित शर्त संख्या XIV एवं XV के क्रम में बाईपास के 1 किमी. तक green belt विकसित की जानी है।

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की CEC की अनुशंषा रिपोर्ट की पालना में प्रस्तावित क्षेत्रफल में से mandate green belt क्षेत्रफल को विकसित करने पर होने वाले संभावित व्यय से अवगत कराने का श्रम करावे ताकि मण्डी समिति द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(मनोज कुमार मीना)

सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति
(अनाज) कोटा

